

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2600

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा उपाय

2600. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त सड़क सुरक्षा उपायों के प्रावधान के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी निधि स्वीकृत और खर्च की गई है; और

(घ) क्या सरकार का सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों के त्वरित कार्यान्वयन का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सड़क सुरक्षा उपायों को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों/दिशानिर्देशों के अनुरूप सड़क सुरक्षा पर परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन चरण, निर्माण चरण, उद्घाटन के पहले के चरण और संचालन चरण में अपनाया जाता है। सड़क सुरक्षा प्रावधानों को 2/4/6 लेन में चौड़ा करने, नए बाईपासों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण और साइट की स्थिति के अनुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर स्टैंडअलोन उपायों जैसे जंक्शनों का सुधार, क्रैश बैरियर का प्रावधान, वाहनों के अंडर पास का प्रावधान, (वीयूपी), एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रावधान, शहरी/निर्मित क्षेत्रों को चौड़ा करना, संकरी पुलियों और पुलों को बदलना/चौड़ा करना आदि के दौरान परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों सहित देश में अतिरिक्त सड़क सुरक्षा उपायों के रूप में स्वीकृत स्टैंडअलोन प्रस्तावों का विवरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(घ) जी, हां। ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

'सड़क सुरक्षा उपाय' के संबंध में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी और श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2600 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.में)	व्यय (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	34	74.43	10.95
2	अरुणाचल प्रदेश	4	69.59	25.28
3	असम	4	18.01	0.41
4	बिहार	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	5	13.35	2.69
6	गोवा	2	4.35	-
7	गुजरात	8	91.87	16.61
8	हरियाणा	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	10	152.73	66.58
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11	झारखंड	5	23.78	8.73
12	कर्नाटक	12	194.52	60.42
13	केरल	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	11	47.33	4.17
15	महाराष्ट्र	3	95.3	79.04
16	मणिपुर	1	183	183
17	मेघालय	-	-	-
18	मिजोरम	1	60.48	-
19	नगालैंड	-	-	-
20	ओडिशा	13	35.13	11.84
21	पंजाब	6	64.45	26.13
22	राजस्थान	4	46	7.6
23	सिक्किम	2	207.26	-
24	तमिलनाडु	144	846.6	448.92
25	तेलंगाना	10	171.56	1.89
26	त्रिपुरा	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश	20	79.72	18.68
28	उत्तराखंड	6	24.83	15.92
29	पश्चिम बंगाल	13	96.86	20.62

'सड़क सुरक्षा उपाय' के संबंध में श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी और श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2600 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) शिक्षा:

- i. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विभिन्न प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान चलाया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू की है।
- ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
- iii. भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) में सड़क सुरक्षा ऑडिटर्स के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- iv. मंत्रालय, मौजूदा और इच्छुक ड्राइवरों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और परीक्षण कौशल की वैज्ञानिक प्रक्रिया के उद्देश्य के आधार पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मानक स्थापित करने और निगरानी के लिए देश के आकांक्षी जिलों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू कर रहा है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

- i. सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं का सड़क सुरक्षा ऑडिट सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
- iii. मंत्रालय ने चिह्नित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।
- iv. दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।
- v. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
- vi. इस मंत्रालय और आईआरसी ने विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कोड और दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

- i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि 01 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में फ्रंट रो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन की सवारियों के लिए एक-एक दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग और आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो साइड कर्टेन/ट्यूब लगे होंगे।
- ii. मंत्रालय ने 01 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के अनिवार्य रूप से लगाने को अधिसूचित किया है।
एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:
क) ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
ख) सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
ग) अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली
सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:
क) रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली
- iii. इस मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि 01 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सभी फ्रंट फेसिंग सीटों पर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट उपलब्ध कराए जाएं।
- iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल हैं] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।
- v. इस मंत्रालय ने आगे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा, आमने-सामने से टक्कर की स्थिति में वाहन के स्टीयरिंग पर नियंत्रण की आवश्यकताओं, पीछे से टक्कर की स्थिति में सवारी की सुरक्षा के लिए और मोटर वाहन से टक्कर की स्थिति में पैदल चलने वालों और अन्य असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में वाहनों के अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया है।
- vi. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए विनियम - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24 जून 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर यान नियमावली), 1989 में एक नया नियम 126ड. अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। निम्नलिखित को प्रस्तावित किया गया है:
* यह ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुरूप देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन वाले एम1 श्रेणी [यात्रियों की आवा-जाही के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं] के टाइप अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होता है। यह मानक वैश्विक मानदंड के साथ संरेखित है: यह न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से परे है।
* भारत एनसीएपी रेटिंग मोटर वाहनों को स्टार रेटिंग प्रदान करता है, जो उपभोक्ताओं को (क) वयस्क सवारी सुरक्षा (एओपी) (ख) बच्चा सवारी सुरक्षा (सीओपी) और (ग) सुरक्षा सहायक तकनीकों (एसएटी) के क्षेत्रों में मोटर वाहनों में सवारियों को उपलब्ध कराए जा रहे सुरक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने में यात्रियों को सक्षम बनाएगा। एआईएस 197 के अनुसार किए गए विभिन्न परीक्षणों पर स्कोरिंग के आधार पर वाहन को एक से पांच तक स्टार रेटिंग दी जाएगी।
* इसमें यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा दी गई है और उपभोक्ताओं को पूर्व जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। यह देश में ओईएम द्वारा उत्पादित कारों की निर्यात योग्यता को बढ़ाएगा और इन वाहनों के प्रति घरेलू ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यह

कार्यक्रम उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए निर्माताओं को उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

* इस कार्यक्रम के लिए वाहनों का परीक्षण सीएमवीआर 1989 के नियम 126 में उल्लिखित आवश्यक अवसंरचना वाली परीक्षण एजेंसियों में किया जाएगा।

* लागू करने की तारीख 01 अप्रैल, 2023:

- vii. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन / गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।
- viii. इस मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 को और उसके बाद विनिर्मित पूरी तरह से निर्मित बसों (चालक को छोड़कर 22 यात्रियों या उससे अधिक के बैठने की क्षमता वाली) में आग का पता लगाने, अलार्म और दमन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, एम3 श्रेणी की टाइप III बसों और स्कूल बसों में सवारी के कंपार्टमेंट में फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है।
- ix. मंत्रालय ने एक प्रपत्र निर्धारित किया है, जिसमें वाहन निर्माता मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सड़क योग्यता प्रमाणन जारी करते हैं।
- x. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।
- xi. इस मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

(3) प्रवर्तन

- i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।
- ii. गुड समरिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार नियम प्रकाशित किए गए हैं। सा.का.नि. 652 (अ), दिनांक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से अधिसूचना - स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण प्रदान करती है।
- iii. ये नियम स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। ये नियम 25 सितंबर, 2021 को लागू हुए थे।
- iv. सा.का.नि. 272 (अ), दिनांक 05 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना द्वारा केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है। यह केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से ही 01 अप्रैल, 2023 से भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों और 01 जून, 2024 से मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) की फिटनेस जांच को अनिवार्य करता है।
- v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए अधिसूचना सा.का.नि.575(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है। इन नियमों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक

नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और ऐसी किसी भी तकनीक) को लगाने के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।

राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर उच्च-जोखिम और उच्च-सघनता वाले गलियारों पर और 132 गैर-पहुंच शहरों (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत) सहित कम से कम दस लाख से अधिक शहरी आबादी (दस लाख से अधिक शहरी समूह या शहर पर आधारित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार: भारत की जनगणना 2011 या नवीनतम जनगणना के अनुसार) वाले प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण इस तरह से लगाए जाएंगे, ताकि उनसे कोई रुकावट, नजर आने में असुविधा या यातायात प्रवाह में बाधा न हो।

(4) आपातकालीन देखभाल:

- i. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।
- ii. मंत्रालय ने ऐसे गुड समारिटन को पुरस्कार प्रदान करने की योजना लागू की है, जिसने मोटर वाहन से किसी घातक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की तत्काल सहायता करके और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल / ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाई है।
- iii. मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से हिट और रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ाया है (गंभीर घायलों के लिए 12,500 रु. से 50,000 रु. और मृतकों के लिए 25,000 रु. से 2,00,000 रु. तक)।
